रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239313
CG-DL-E-03102022-239313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 246] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

विषय: चीन जन.गण. से ''फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल को छोड़कर, ग्राइंडिंग मीडिया बाल'' के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/13/2022–डीजीटीआर.—(1). समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे ''अधिनियम'' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे ''नियमावली'' अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार मैसर्स एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और वेलकास्ट स्टील्स लि. (इसके बाद इन्हें ''आवेदकों'' के रूप में भी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद ''प्राधिकारी'' के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. और थाइलैंड (इसके बाद इन्हें ''संबद्ध देश'' के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल को छोड़कर, ग्राइंडिंग मीडिया बाल अथवा जीएम बाल'' (इसके बाद इन्हें ''संबद्ध वस्तुएं'' अथवा विशेष रूप से ''विचाराधीन उत्पाद'' अथवा ''पीयूसी'' के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए एक आवेदन दाखिल किया है।

2. आवेदकों ने पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आरोप

लगाया है और निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने तथा लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है ।

क. पृष्ठभूमि

3. थाइलैंड और चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच दिनांक 23 मई, 2011 की अधिसूचना सं. 14/34/2010-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी । दिनांक 22 मई, 2012 की अधिसूचना सं. 14/34/2010-डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की गई थी तथा दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 36/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत शुल्क लगा दिए गए थे ।

4. थाइलैंड और चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 7/7/2017-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी । दिनांक 11 जून, 2018 की अधिसूचना सं. 7/7/2017-डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की गई थी और दिनांक 13 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 36/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत शुल्क लगा दिए गए थे । वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 12 जुलाई, 2023 तक लागू हैं ।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद वही है, जोकि मूल जांच में है अर्थात "ग्राइंडिंग मीडिया बाल (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल को छोड़कर) । उत्पाद को मूल जांच में इस प्रकार से परिभाषित किया गया था :-

"8. विचाराधीन उत्पाद "ग्राइंडिंग मीडिया बाल" (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल को छोड़कर) है । "ग्राइंडिंग मीडिया बाल" (संक्षेप में "जी एम बाल") का उत्पादन विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने के लिए विभिन्न आकार, बनावट और संयोजन में किया जाता है । इसके अलावा,यह ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों के आधार पर विभिन्न प्रकार की कठोरता में उपलब्ध है ।

9. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग व्यापक रूप से सीमेंट निर्माण सामग्रियों, धातु के खनन, कोयला घोल, ताप विद्युत संयंत्र, रासायनिक इंजीनियरिंग, सिरामिक उद्योग, डोप उद्योग, हल्के उद्योग जैसे पाउडर बनाने के लिए मेग्नेटिक सामग्री और पेपर निर्माण आदि में किया जाता है । संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 73 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 7325-9100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इसकी जांच के दायरे पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है ।"

6. वर्तमान जांच चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहा, जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था ।

7. आवेदकों ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच एक उचित तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) कार्यप्रणाली अपनाने का प्रस्ताव किया है । इस प्रयोजन के लिए, आवेदकों ने क्राम कंटेंट और साइज के आधार पर एक पीसीएन प्रणाली का प्रस्ताव किया है और पीसीएन का सुझाव इस प्रकार से दिया है :-

क्र.सं.	मापदंड	स्पष्टीकरण	कोड
1.	क्रोम कंटेंट	**क्रोम का %**	**G 01, 02, 03, 04…**
		1%	G01
		2%	G02
		11%	G11
		12%	G12
		33%	G33
2.	आकार	**आकार**	**A, B, C, D…**
		0 मि.मी. से अधिक और 10 मि.मि. तक	A
		10 मि.मी. से अधिक और 20 मि.मि. तक	B

		20 मि.मी. से अधिक और 30 मि.मि. तक	C
		30 मि.मी. से अधिक और 40 मि.मि. तक	D
		40 मि.मी. से अधिक और 50 मि.मि. तक	E
		50 मि.मी. से अधिक और 60 मि.मि. तक	F
		60 मि.मी. से अधिक और 70 मि.मि. तक	G
		70 मि.मी. से अधिक और 80 मि.मि. तक	H
		80 मि.मी. से अधिक और 90 मि.मि. तक	I
		90 मि.मी. से अधिक और 10 0मि.मि. तक	J

उदाहरण :

60 मि.मी. के आकार के 11 प्रतिशत के क्रेाम कंटेंट वाला एक ग्राइंडिंग मीडिया बाल जी11एफ है।

80 मि.मि. के आकार का 27 प्रतिशत कंटेंट वाला एक ग्राइंडिंग मीडिया बाल जी27एच है।

8. तथापि, हितबद्ध पक्षकार इस जांचकी शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस जांच के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित पीसीएन पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रदान कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

9. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही उत्पाद भौतिक और तकनीकी गुणों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में ला रहे हैं। प्राधिकारी ने विगत जांच में यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किया जा रहा उत्पाद, संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है। वर्तमान आवेदन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने के लिए है और चूंकि विचाराधीन उत्पाद वही है, अत: प्रथम दृष्टया यह विचार किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से उत्पादित और निर्यातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

10. निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदक एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और वेलकास्ट स्टील्स लि. द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदकों ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वसतुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। रिकॉर्ड पर उपलबध सूचना पर विचार करते हुए, आवेदकों का उत्पादन, समान वस्तु के भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" है और यह नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

ड़. संबद्ध देश

11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश थाइलैंड और चीन जन.गण. हैं।

च. डंपिंग के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

12. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध देश थाईलैंड से कोई आयात नहीं हुआ है और चीन जनवादी गणराज्य से नगण्य आयात हुआ है। इसे देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से वर्तमान में कोई पाटन नहीं हो रहा है। इसलिए, प्राधिकारी ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन या क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

13. आवेदकों ने दावा किया है कि जबकि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है, पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। आवेदकों ने पाटन के इतिहास, संबद्ध देशों में उपलब्ध क्षमताओं, संबद्ध देशों में घरेलू मांग और घरेलू बाजार पर पाटन की पुनरावृत्ति के संभावित प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर क्षति की संभावना का दावा किया है। कर्तव्यों की समाप्ति की स्थिति में उद्योग। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य है.

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

14. घरेलू उद्योग के विधिवत प्रमाण सहित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृति होने की संभावना को साबित करते हुए और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगाए रखना जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति होने पर घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

ज. जांच की अवधि

15. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पी ओ आई) के रूप में अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि (12 माह) पर विचार किया है। तथापि, जांच के अंतर्गत क्षति अवधि में वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. प्रक्रिया

16. समीक्षा जांच में 11 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/7/2017-डीजीएडी के तहत प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलु शामिल होंगे, जिसमें थाइलैंड और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल को छोड़कर ग्राइंडिंग मीडिया बाल" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की गई है।

17. उपरोक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ होंगे।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों **adg12-dgtr@gov.in; adg16-dgtr@gov.in; adv13-dgtr@gov.in; jd16-dgtr@gov.in** तथा **dd14-dgtr@gov.in** पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फामेर्ट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

19. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और ज्ञात प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात **www.dgtr.gov.in** को, इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों **adg12-dgtr@gov.in; adg16-dgtr@gov.in adv13-dgtr@gov.in; jd16-dgtr@gov.in** तथा **dd14-dgtr@gov.in** पर प्राधिकारी को लिखित में भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपरोक्त नियमावली के स्पष्टीकरण के संबंध में, सूचना आमंत्रित करने और अन्य दस्तावेजों की मांग करने का नोटिस, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने की तारीख से अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर इसे प्राप्त किया गया माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के सात (7) दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर टिप्पणी कर सकते हैं।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे ।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/अनुरोधों को साझा करना

33. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टीआर की वैबसाइड पर अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल से भेज दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी ।

ढ. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of "Grinding Media Balls excluding Forged Grinding Media Ball" from China PR

F. No. 7/13/2022-DGTR.—1. M/s. AIA Engineering Ltd and M/s Welcast Steels Ltd (hereinafter referred to as the 'applicants') have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Rules'), for Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of "Grinding Media Balls excluding Forged Grinding Media Ball" or "GM Balls" (hereinafter referred to as the 'subject goods' or specifically as the 'product under consideration' or the 'PUC'), originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter referred to as the 'subject countries').

2. The applicants have alleged likelihood of recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of ADD and have requested for initiation of Sunset Review Investigation and continuation of the anti-dumping duty in force.

A. Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from Thailand and China PR was initiated vide Notification No. 14/34/2010-DGAD dated 23rd May 2011. Definitive anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 14/34/2010-DGAD dated 22nd May 2012 and the same were imposed vide Notification No. 36/2012-Cus (ADD), dated 16th July 2012.

4. Sunset review investigation concerning imports of the subject goods from Thailand and China PR was initiated vide Notification No. 7/7/2017-DGAD dated 4th July 2017. Definitive anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 7/7/2017-DGAD dated 11th June 2018 and the same were imposed vide Notification No. 36/2018-Customs (ADD), dated 13th July 2018. The current anti-dumping duty is in force up to 12th July 2023.

B. Product under Consideration

5. The product under consideration is the same as in the original investigation, i.e, "Grinding Media Balls (excluding Forged Grinding Media Balls)". The product was defined as under in the original investigation-

"8. The product under consideration is 'Grinding Media Balls' (excluding Forged Grinding Media Balls). 'Grinding Media Balls' (in short, 'GM Balls') are produced in different sizes, shapes and compositions for use in diverse applications. Further, it is available different hardness depending upon varying requirements of the customers.

9. The product under consideration is extensively used in cement build materials, metal mining, coal slurry, thermal power plant, chemical engineering, ceramic industry, dope industry, light industry such as papermaking and magnetic material etc for powder preparation. The subject goods are classified under Customs sub-heading 7325 9100 of Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation."

6. The present investigation being a Sunset Review Investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

7. The applicants have proposed adoption of Product Control Numbers (PCNs) methodology for fair comparison between normal value and export price. For the purpose, the applicants have proposed a PCN system based on chrome content and size, and has suggested PCN as follows:

Sl. No.	Parameters	Explanation	Code
1.	**Chrome Content**	**% of Chrome** 1% 2% 11% 12% 33%	**G 01, 02, 03, 04…** G01 G02 G11 G12 G33
2.	**Size**	**Size** Above 0mm up to 10mm Above 10mm up to 20mm Above 20mm up to 30mm Above 30mm up to 40mm Above 40mm up to 50mm Above 50mm up to 60mm Above 60mm up to 70mm Above 70mm up to 80mm Above 80mm up to 90mm Above 90mm up to 100mm	**A, B, C, D…** A B C D E F G H I J

EXAMPLES;

A Grinding media ball with chrome content 11% of size 60mm is **G11F**

A Grinding media ball with chrome content 27% of size 80mm is **G27H**

8. The interested parties, however, can provide their comments/suggestions on the proposed PUC/PCNs for the purpose of this investigation within 30 days from the date of initiation of this investigation.

C. Like Article

9. The applicants have submitted that there is no known difference in the subject goods, produced by the applicants and those exported from the subject countries. Both products are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as like article, under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries.

D. Domestic Industry & Standing

10. The request for the sunset review has been jointly filed by AIA Engineering Ltd and Welcast Steels Ltd. The applicants have certified that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or an importer of the product under consideration in India. Considering the information on record, the production of the applicants accounts for "a major proportion" of the Indian production of the like article and constitutes the domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and Rule 5(b).

E. The subject countries

11. The subject countries in the present Sunset review investigation are Thailand and China PR.

F. Likelihood of continuation or recurrence of dumping

12. The information on record shows that there are no imports from subject country Thailand and negligible imports from China PR. In view of this, it is noted that there is no current dumping from the subject countries. Therefore, the Authority has examined likelihood of dumping or recurrence of injury in the event of cessation of the existing anti-dumping duty.

13. The applicants have claimed that while the domestic industry has not suffered continued injury, injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty. The applicants have claimed likelihood of injury on the basis of factors such as history of dumping, capacities available in the subject countries, domestic demand in the subject countries and the likely impact of recurrence of dumping on the domestic industry in the event of cessation of duties. There is prima facie evidence regarding likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of antidumping duty.

G. Initiation of Anti-dumping Investigation

14. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants substantiating likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates this Sunset Review Investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

H. Period of Investigation

15. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2021 – March 2022 (12 months). The injury period under investigation, however, covers the periods 2018-19, 2019–20 and 2020-21 and the POI.

I. Procedure

16. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 7/7/2017-DGAD dated 11th June 2018, recommending continued imposition of anti-dumping duty on imports of "Grinding Media Balls excluding Forged Grinding Media Balls" originating in or exported from Thailand and China PR.

17. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

J. Submission of Information

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in; adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in; jd16-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

19. The known producers/exporters in the subject countries, Government of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. Time-Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the email addresses adg12-dgtr@gov.in; adg16-dgtr@gov.in; adv13-dgtr@gov.in; jd16-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

L. Submission of Information on Confidential Basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

27. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can comment on the confidentiality claimed within seven (7) Days of the receipt of non-confidential version of the documents.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

M. Sharing of responses/submissions amongst interested partie

33. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submission to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

N. Non-Cooperation

34. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.03 21:23:48 +05'30'